Economics

Dr Vinod Baitha
Deptt of Economics
Marwari college
Darbhanga

D.II (Hons)

LECTURE 06

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

INTERNATIONAL MONETARY FUND.

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सहायक देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है। यह अपने सदस्य देशों के आर्थिक और तकनीकि सहायता प्रदान करती है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या 187 है। अंतिम देश कोसोवा गणराज्य है। इसका मुख्यालय वासिंगटन डीसी (अमेरिका) में है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I.M.F) जिसे मुद्रा कोष भी कहते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना प्रथम व द्वितीय महायुद्ध के मध्य अवधि में विद्यमान वित्तीय परिस्थितियों का परिणाम थी। जुलाई 1944 में ब्रेटनवुड्स नामक स्थान पर 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गयी। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व के सभी सदस्य देशों की आर्थिक एवं वित्तीय सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य अपने चार्टर के अनुसार निम्नलिखित है।

1. अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की उन्नति करना — अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उद्देश्य अपने सदस्य देशों में मुद्रा नीति संबंधी अनेक सुझाव एवं सहयोग स्थापित करना, और मुद्रा संबंधि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की बातचीत या आपसी सहयोग स्थापित कर समस्याओं का हल निकालना, तथा कोई भी सदस्य देश मुद्रा की नीति का पालन कैसे करे। इसपर बातचीत करना एवं सहयोग बनाए रखना है।
2. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा — अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मामलों में ऐसी सुविधाएँ प्रदान करता है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिले। व्यापार बढ़ने से सभी देशों के रोजगार के स्तर में वृद्धि होगी। सदस्य देश आर्थिक रूप से मजबुत होंगे। इस कार्य के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्विपक्षीय समझौते के स्थान पर भुगतान या व्यापार संबंधी बहुपक्षीय समझौते करने की सुविधाएँ देगा।
3. विनिमय दर में स्थिरता — अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए अनेक प्रयास करता है। सदस्य देशों की विनिमय दर को कैसे स्थिर रखा जाय इसपर आवश्यक सुझाव एवं समझौता करता है सदस्य देश की विनिमय स्थिति की समीक्षा भी करता है आवश्यक संशोधन, एवं सहयोग भी देता है।

4. अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों की विषमता को दूर करना - अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य राष्ट्रों की अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों की विषमता को हर हाल में दूर करने का प्रयास करता है वह अन्तर्राष्ट्रीय सदस्य राष्ट्रों की अदायगी शेषों में होने वाले असंतुलन को दूर रखने, करने का प्रयत्न करता है। शेष अदायगी किस देश को कैसे करनी है इसके लिए आवश्यक मुद्रा का भी व्यवस्था करता है। वह सदस्य राष्ट्रों को विदेशी मुद्राएँ भी बेचता है। या उन्हें उधार भी देता है। जिससे सदस्य देश में अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की समस्या दूर हो सके। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों की विषमता को दूर करने के लिए हर सम्भव प्रयास करता है।

5. विनिमय नियंत्रण को हटाना — अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार के विनिमय दरों को कम करता है या उस पर नियंत्रण रखता है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। वह सभी प्रकार के विनिमय नियंत्रणों को निरुत्साहित करता है जिससे व्यापार हो सके।

6. अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन को कम करना — अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्यों राष्ट्रों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन को कम करना चाहता है जिन देशों का भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है उन देशों के साथ मुद्रा कोष कम-से-कम समय में ठीक करना का क्रियात्मक एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करता है परिस्थितियाँ ठीक नहीं रहने पर सदस्य देश को आवश्यक राशि की आपूर्ति करता है जो किसी भी मुद्रा में हो वह आवश्यक मदद करता है भुगतान संतुलन कम से कम रहे इसकी जानकारी सदस्य राष्ट्रों को समय-समय पर देता रहता है और हर हाल में भुगतान संतुलन बना रहे इसका विशेष व्यवस्था करता है।

7. उत्पादक पूँजी का विनियोग — अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य राष्ट्रों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए पूँजी विनियोग के लिए आवश्यक कदम उठाता है वह सदस्य राष्ट्रों के बीच एक दूसरे देश को दीर्घकालीन पूँजी के लाभदायक उपयोग में सहयोग करने के लिए आवश्यक सुझाव देता है।

8. असंतुलित आर्थिक विकास में सहायक — अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों विशेषकर पिछड़े हुए राष्ट्रों का संतुलित आर्थिक विकास करता है इसके लिए सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है सदस्य राष्ट्रों में लोगों के स्वास्थ्य एवं रोजगार की व्यवस्था उत्तम रहे इसके लिए आवश्यक सुझाव भी देता है वह सदस्य राष्ट्रों एवं पिछड़े हुए राष्ट्रों को रोजगार का स्तर ऊँचा उठाने का हर सम्भव प्रयास करता है जिससे देश का आर्थिक एवं सामाजिक

स्तर ऊँचा उठ सके। सदस्य राष्ट्र का आर्थिक विकास हो सके।

इस तरह हम संक्षेप में कह सकते है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली का विकास करना है जिससे सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रों का अधिक से अधिक विकास, आर्थिक विकास हो सकें। विदेशी विनिमय की सुविधा प्राप्त हो सके। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन बना रहे आदि को प्रोत्साहन मिले और सदस्य राष्ट्रों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो सकें और देश का आर्थिक उन्नति हो सके।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कार्य प्रणाली सुव्यवस्थित ढंग से है जो निम्नलिखित है।

1. भुगतान संतुलन के अस्थायी असंतुलन को ठीक करने के लिए ऋण देना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों को उनके भुगतान शेष की अस्थायी घाटे की पूर्ति के लिए यथा संभव संकटकालिन ऋण उनके केन्द्रिय बैंक के माध्यम से देता है। यह कोष किसी विशेष उद्देश या Project के लिए ऋण नहीं देता अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो वित्तीय सहायता दी जाती है उनके द्वारा सदस्य देश अपने कोषों को पुनः एकत्रीत कर सकते है। अथवा आयातों या अन्य विदेशी उद्देश्यों के बड़े भुगतान भी कर सकते है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य राष्ट्रों को तीन तरिकों से वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

1. मौद्रिक व्यवस्था में सुधार — अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच विनिमय दर नीति, समष्टी एवं व्यष्टि अर्थव्यवस्था में सुधार, संरचनात्मक नितियों में व्यापक सुधार, विश्व के देशों की आर्थिक सुधार का संदेश, पेंशन सुधार आदि कार्यों के लिए मौद्रिक व्यवस्था में सुधार एवं मदद करता है।

2. ऋण सहायता – Lending —

(i) विस्तारित फण्ड सुविधा— अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों के बीच दीर्घकालीन भुगतान संतुलन की समस्या एवं संरचनात्मक सुधार समस्या से निपटने के लिए विस्तारित फण्ड सुविधा प्रदान किया जाता है जिससे सदस्य राष्ट्रों के बीच संतुलन बना रहे।

(ii) क्षतिपूर्ति वित्तीय सुविधा — अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्यान्न एवं सेवाओं में उच्च दाम वृद्धि के कारण यदि आयात बिल की पूर्ति निर्यात से ना होने या उत्पन्न समस्याओं से निपटने हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय

सुविधा प्रदान की जाती है जिससे सदस्यों राष्ट्रों के बीच समस्याओं का समाधान हो सके।

(iii) स्टेण्ड बाई अरेंजमेन्ट — अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों के बीच अल्प अवधि के बीच भुगतान संतुलन की वित्तीय समस्या से निपटने के लिए स्टेण्ड अरेंजमेन्ट की सुविधा प्रदान करता है जिसे अल्पावधि में सदस्य राष्ट्र भुगतान संतुलन बना सके। किसी सदस्य देश को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

(iv) निर्धनता अनुकूलन विकास सुविधा — अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों में से निर्धन देशों की गरीबी, निर्धनता अनुकूलन हेतु का आय या लम्बी अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है निर्धनता निवारण कार्यक्रम हेतु लम्बी अवधि के लिए संरचनात्मक सुधार हेतु ऋण दिया जाता है जिससे सदस्य देशों की गरीबी दूर हो सके।

2. प्रत्येक सदस्य देश द्वारा विनिमय दर निर्धारित करना — अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों को अपनी मुद्राओं का मूल्य स्वर्ण अथवा अमरीकी डालर में घोषित करवाना है या करने का आदेश देता है जिससे विभिन्न देशों के विनिमय दरों के आपसी निर्धारण में कठिनाई नहीं होती है।

4. विनिमय दरों में परिवर्तन — मुद्रा कोष के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों राष्ट्रों को सम मूल्यों में 10 प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि का अधिकार है। यदि सम मूल्यों में परिवर्तन 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के मध्य है तो सदस्य राष्ट्रों को मुद्रा कोष की पूर्वानुमति आवश्यक है। जो मुद्रा कोष को सूचना प्राप्ति के 72 घंटों के अंदर प्रदान करनी होगी। 20 प्रतिशत से अधिक की दशा में सदस्यों राष्ट्रों को अनुमति उसी दशा में प्रदान की जा सकती है। जबकि ऐसे परिवर्तन का अनुमोदन दो तिहाई सदस्य राष्ट्रों के बीच किया जाता है। ऐसे परिवर्तनों की अनुमति तभी प्रदान की जाती है जबकि संबंधित राष्ट्र के भुगतान संतुलन में संरचनात्मक असाम्य उत्पन्न हो गया हो।

5. विदेशी मुद्रा का ऋण — मुद्रा कोष सदस्य देशों के भुगतान संतुलन में यदि घाटा है तो मुद्रा कोष उस देश को वह विदेशी मुद्रा जिसकी उसको आवश्यकता है। निश्चित विनिमय दर पर ऋण के रूप में देता है। ताकि वह देश अपनी विदेशी देनदारी का भुगतान कर सके। इस तरह का ऋण केवल अल्पकाल में ही दिए जाते हैं।

6. संकटकालीन सुविधाएँ — अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विदेशी विनिमय तथा विदेशी व्यापार संबंधी सभी प्रतिबंधों के विरुद्ध है परन्तु संकट काल में सदस्य देशों को विनिमय प्रतिबंध जारी रखने का अधिकार दिया गया है संकटकालीन परिस्थितियों में कोई भी देश अपना संतुलन बनाए रखे इसके लिए यह आदेश आवश्यक है।

P.T.O.

7. साधनों की तरलता — मुद्रा कोष से जब कोई देश ऋण लेता है तो वह अपनी मुद्रा बेचता है अन्य देश की मुद्रा खरीदता है। तब इस बात का भय रहता है कि ऋण देश अपनी मुद्रा के बदले में ऋण लेते चले जाएँ जिससे मुद्रा कोष के पास ऐसी मुद्राओं की पूर्ति बढ़ जाए जिनकी माँग नहीं है और ऐसी मुद्राओं की पूर्ति समाप्त हो जाए जिनकी माँग बहुत है इस तरह साधनों की तरलता बनाए रखने के लिए तीन उपाय बताए गए हैं (i) जो सदस्य देश स्वर्ण के बदले कोई विदेशी मुद्रा खरीदना चाहे वह ऐसा कर सकता है। (ii) यदि कोष के पास किसी सदस्य की मुद्रा उसके कोटे से अधिक है तो वह कोष से अपनी अतिरिक्त मुद्रा सोना देकर खरीद सकता है। (iii) प्रत्येक देश को कोष के पास रखी अपनी मुद्रा का कुछ भाग स्वर्ण या प्रतिभूतियाँ देकर प्रतिवर्ष दोबारा खरीदना होगा।

8. मुद्राओं का क्रय-विक्रय — मुद्रा कोष के पास सभी सदस्यों देशों के मुद्राओं का संचय रहता है। आवश्यकता के समय कोई भी सदस्य राष्ट्र मुद्रा कोष से विदेशी मुद्रा क्रय कर सकता है। विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए देश को स्वर्ण अथवा अपनी घरेलू मुद्रा में विदेशी मुद्रा का मूल्य चुकाना होता है

9. तकनीकि सहायता — अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों तकनीकि सहायता भी देता है। वह अपनी कर्मचारियों को प्रतिनिधि के रूप में भेजकर सदस्य देशों को विनिमय नियंत्रण, विदेशी भुगतान, साख मुद्रा, केन्द्रिय बैंकिंग तथा आर्थिक नीति के संबंध में आवश्यक सलाह देता है। इसकी जानकारी के लिए फण्ड, मैगजीन तथा कई पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करता है।

10 प्रशिक्षण — अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष मुद्रा फण्ड सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी चला रहा है। यह प्रशिक्षण केन्द्रिय बैंक और सरकार के वित्त विभागों के उच्च अधिकारियों को दिया जाता है। पहली बार 1975 में एक प्रशिक्षण शिविर की स्थापना की गयी थी। भारत में 2004 में भारत और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पुणे के राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान में संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थापना की। जिसमें भारतीय कर्मचारियों और दक्षिण एशिया तथा पूर्व अफ्रीकी देशों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों के बीच आपसी तालमेल, आर्थिक विकास, वित्तीय विकास, भौतिक विकास अल्पकालीन ऋण दीर्घकालीन ऋण आदि अनेक सहायता प्रदान करता है जिससे सदस्यों राष्ट्रों का आर्थिक सामाजिक विकास हो सके।